

A.C. CODE

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर।

संदिग्ध जमाबंदी अभिलेख संख्या 01 (III) / 2014-15

60/15-18

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
24.8.14	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी हल्का संख्या-3 द्वारा मौजा बडा पिछडी थाना संख्या 86, खाता संख्या-152 कुल रकबा 7.26ए0 भूमि का संदिग्ध जमाबंदी का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त प्रस्ताव मौजा बडा पिछडी के पंजी-2 के मौलूम संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 221 पर उमापद पाल दी० पिता हरिपद पाल के नाम पर कायम जमाबंदी से संबंधित है। प्रस्ताव के साथ पंजी-2 की छाया प्रति संलग्न की गई है।</p> <p>प्रस्ताव एवं संलग्न पंजी-2 की छाया प्रति का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित भूमि गैर आबाद खाते की है। उक्त जमाबंदी पृष्ठ के प्राधिकार कॉलम में अंकित किया गया है कि:- धारा 5.6.7/70-71, केश न०-2(III) 70-71, उक्त जमाबंदी के कायम होने संबंधी किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर द्वारा दिनांक 18.11.11 को प्रासंगिक जमाबंदी पृष्ठ पर हल्का कर्मचारी को आदेश देते हुए अंकित किया गया है कि- कागजात के जाँच के बाद ही R.R. निर्गत करें।</p> <p>पंजी-2 में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक 30.11.11 को अंकित किया गया है कि :- अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर विविध वाद संख्या 10/11-12 के आदेशानुसार जमाबंदी स्थगित किया जाता है।</p> <p>अतः उपरोक्त आलोक में जमाबंदीदार रैयत को सूचना निर्गत कर प्रासंगिक भूमि के संबंध में राजस्व कागजात एवं साक्ष्य की माँग करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 13/9/14 को उपस्थापित करें।</p>	
13.9.14	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का कार्यालय प्राप्त है। दर्जित भूमि से संबंधित दस्तावेजों का राजस्व कागजात उपस्थापित नहीं किया गया है।</p> <p>अभिलेख दिनांक - 27.11.14 को उपस्थापित करें।</p>	

25/8/14
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर।

3/9/14
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर।